संख्याः जी–2–3/दस–2011

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 9 फरवरी, 2011

विषयः सामान्य भविष्य निधि खातों का समुचित रख–रखाव।

महोदय,

सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा भविष्य निधि लेखा

1–संख्या सा–4–ए0जी057/दस–84–510–84, दि0 26 दिसम्बर, 1984
2–अर्धशा0प0संख्या–सा–4–7/दस–95–512–88,दि0 06 जनवरी, 1995
3–संख्या सा–4–101/दस–95 दि0 23 मार्च, 1995
4–संख्या सा–4–359/दस–96 दि0 18 जून, 1996
5–संख्या–जी–2–463/दस–2005–311/2005, दि0 15 मार्च, 2005
6–संख्या–जी–2–205/दस–2005, दि0 23 फरवरी, 2006
7–संख्या–जी–2–1146/दस–2009–311–2005,दि0 07 सितम्बर, 2009

का मिलान महालेखाकार कार्यालय में रखे जा रहे लेखों से किए जाने के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर पार्श्वांकित आदेश निर्गत किए जाते रहे हैं। इस संबंध में कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों में समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस्स संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या–जी–2–3– (1) / दस–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 156 सी0 वित्त–23–3–2011–(2629)–3,000+2 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।